फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट-थाना नवाबगंज

दिनांक :- 24.12.2024

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 267/2024 धारा 103(1)/61(2) BNS से सम्बन्धित 03 अभियुक्तगण को हत्या मे प्रयुक्त आला कत्ल सहित किया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र सिंह के कुशल पर्यवेक्षण, **श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री अलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन**, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी मोहम्मदाबाद श्री राजेश द्विवेदी के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना नवाबगंज पुलिस के द्वारा मु0अ0सं- 267/2024 धारा -103(1)/61(2) BNS से सम्बन्धित अभियुक्त 1. फहीम खां पुत्र भूरे खा 2. रुबीना पत्नी स्व0 अफरोज खां निवासी ग्राम चंदनी थाना नवाबगंज को उनके घर से तथा विवेचना के क्रम में प्रकाश मे आए अभियुक्त 3. रवीन्द्र सिह पुत्र उदयवीर सिह निवासी चंदनी थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ को आला कत्ल 01 तमन्चा व 05 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस सहित गिरफ्तार कर अभियुक्त के कब्जे से आला कत्ल बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त मे धारा -3/25/27 आर्म्स एक्ट की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. फहीम खाँ पुत्र भूरे खाँ निवासी- ग्राम चंदनी थाना नवाबगंज जनपद फर्रुखावाद
2. रुवीना बेगम पत्नी स्व0 अफरोज खाँ निवासी उपरोक्त
3. प्रकाश मे आए अभियुक्त रवीन्द्र सिह पुत्र उदयवीर सिह निवासी उपरोक्त

घटना का विवरण:- दिनांक 22.12.2024 को वादी श्री फिरोज खाँ पुत्र पुत्तन खाँ निवासी ग्राम चंदनी थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र के माध्यम से थाना नवाबगंज पर सूचना दि कि फईम खाँ द्वारा रुवीना बेगम के षड़यन्त्र व सहयोग से वादी के पिता पुत्तन खाँ की गोली मारकर हत्या कर दी गयी है। सूचना पर तत्काल थाना नवाबंगज पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 267/2024 धारा 103(1)/61(2) बनाम 1. फईम खाँ पुत्र भूरे खाँ 2. रुवीना बेगम पत्नी स्व0 अफरोज खाँ निवासीगण ग्राम चंदनी थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ पंजीकृत कराया।

विवेचना क्रम मे दिनांक 23.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर अभियोग मे नामित अभियुक्तगण फहीम खां व रुबीना को उनके घर ग्राम चंदनी से गिरफ्तार किया गया तथा विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये अभियुक्त रवीन्द्र सिह पुत्र उदयवीर सिह निवासी ग्राम चंदनी थाना नवाबगंज को मुखबिर की सूचना पर रक्षपाल के ट्यूबबैल के पास से गिरफ्तार कर अभियुक्त रवीन्द्र उपरोक्त के घर से आला कत्ल 01 देशी तमन्चा 315 बोर व 05 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस की बरामदगी करते हुए अभियोग मे धारा 3/25/27आर्म्स एक्ट की वृद्धि कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान अभियुक्त फहीम ने बताया कि उनका पुत्तन खां से जमीन के सम्बन्ध मे विवाद चल रहा था। इसी वजह से अभियुक्त रवीन्द्र सिह के सहयोग से दिनांक 20.12.2024 की रात्रि मे जब पुत्तन खां आलू की रखवाली कर रहे थे तो तमन्चे से गोली मारकर हत्या कर दी तथा रवीन्द्र ने तमन्चे का अपने घर मे छिपा दिया।

बरामदगी का विवरण:-

1. हत्या मे प्रयुक्त आला कत्ल 1 तमन्चा 315 बोर
2. 05 जिन्दा कारतूस
3. 01 अदद खोखा कारतूस

अभियुक्त फहीम खां उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 267/2024 धारा 103(1)/61(2) BNS व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़

अभियुक्ता रुबीना बेगम का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0स0 267/2024 धारा 103(1)/61(2) BNS व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़

अभियुक्त का रवीन्द्र सिह का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0स0 267/2024 धारा 103(1)/61(2) BNS व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़
2. मु0अ0सं-75/1995 धारा -302 भादवि थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़

गिरफ्तार करने वाली थाना नवाबगंज पुलिस टीम:-

1.विद्या सागर तिवारी थानाध्यक्ष नवाबगंज
2.उ0नि0 श्री इन्द्रजीत सिह थाना नवाबगंज
3.हे0का0 गणेश शंकर थाना नवाबगंज
4. हे0का0 नीरज कुमार थाना नवाबंज
5.हे0का0 चालक कृष्णपाल सिंह थाना नवाबगंज
6. का-720 सौरभ शर्मा – थाना नवाबगंज

UTTAR PRADESH 112 EMERGENCY

फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट- थाना कम्पिल

दिनांक :- 24.12.2024

थाना कम्पिल पुलिस द्वारा 01अभियुक्त को 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित किया गया गिरफ्तार ।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री आलोक प्रियदर्शी के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक श्री डा0 संजय कुमार व क्षेत्राधिकारी कायमगंज श्री संजय वर्मा के नेतृत्व में अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कम्पिल पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को थाना क्षेत्र कम्पिल से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार कर बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-190/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. आशीष कुमार पुत्र राकेश कुमार निवासी सूर्य नगर कॉलौनी जनपद कासगंज ।

घटना का विवरण:- दिनांक 24.12.2024 को प्रभारी चौकी सिवारा मय हमराह द्वारा चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन, तलाश वाँछित/वारण्टी चौकी सिवारा क्षेत्र में भ्रमणशील थे तभी मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त आशीष कुमार पुत्र राकेश कुमार निवास सूर्य नगर कालौनी कोतवाली कासगंज जनपद कासगंज उम्र करीब 27 वर्ष को 01 तमंचा देशी नाजायज व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया। तथा बरामदगी के आधार थाना कम्पिल पर मु0अ0सं0 190/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम आशीष उपरोक्त पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ के दौरान अभियुक्त आशीष उपरोक्त द्वारा अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बताया गया।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 देशी नाजायज तमंचा
2. 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर

अभियुक्त आशीष उपरोक्त का आपराधिक इतिहास:-

1.मु0अ0सं0 190/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कम्पिल फर्रूखाबाद
2. मु0अ0सं0 203/23 धारा 394/411/414 भादवि थाना कासगंज जनपद कासगंज
3. मु0अ0सं0 217/23 धारा 394/411 भादवि थाना कासगंज जनपद कासगंज
4. मु0अ0सं0 218/23 धारा 307 भादवि व 3/4/25/27 आर्म्स एक्ट थाना कासगंज जनपद कासगंज

गिरफ्तार करने वाली थाना कम्पिल पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री कपिल कुमार कुशवाह प्रभारी चौकी सिवारा थाना कम्पिल
2. का0 पंकज गौतम
3. का0 मुनवेन्द्र सिंह

मीडिया सेल फतेहगढ़

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

कोतवाली मोहम्मदाबाद

दिनांक- 24.12.2024

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1. भूरा पुत्र नौरतन 2. बहादुर उर्फ राजबहादुर पुत्र दफेदार निवासी गण ग्राम तकीपुर थाना मोहम्मदाबाद जिला फर्रुखाबाद मु0अ0स0- 473/1999 वाद स0- 45/2004 धारा- 307 भा0द0वि0 थाना मोहम्मदाबाद जनपद फतेहगढ़ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त गण के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार /कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 24.12.2024 को मा0 न्यायालय ए0डी0जे0-07 फर्रु0 द्वारा अभि0 गण को दोषसिद्ध कर 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

एडीजीसी. श्री संजीव कुमार मिश्र

कोर्ट मोहर्रिर हे0का0 सचिन कुमार

पैरोकार का0 गुलाम गौस